भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5750

दिनांक 6 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

जापानी प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता

5750. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव माडंलिक:
श्री प्रताराव जाधवः
क्या वाणिज्य और उद्योग यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों के बीच किन विभिन्न व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;
(ग) दोनों देशों के बीच उक्त व्यापार समझौतों के निबंधन एवं शर्तें क्या हैं;
(घ) हाल के दिनों में चीन और रूस छोड़ने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) क्या सरकार ने हाल ही में गठित भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धी सहयोग के तहत देश में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए जापानी और रूसी कंपनियों के लिए कोई रूपरेखा तैयार की हैं;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(छ) देश में रूसी और जापानी कंपनियों से निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) : जी हाँ । जापान के प्रधान मंत्री ने 14 वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 19 से 20 मार्च 2022 तक भारत का दौरा किया । जापानी प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित करार/समझौता ज्ञापन का विवरण अनुबंध-I में संलग्न है।

(घ) से (छ): सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की निरंतर आधार पर समीक्षा करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर बदलाव करती है कि भारत एक आकर्षक और निवेशक अनुकूल गंतव्य बना रहे। इरादा उन नीतिगत बाधाओं को हटाना होता है जो देश में निवेश प्रवाह में बाधा बन रही हैं। शीर्ष उद्योग चैम्बर्स, संघों, उद्योगों/समूहों के प्रतिनिधियों और अन्य संगठनों सहित हितधारकों के साथ गहन परामर्श के बाद नीति में बदलाव किए जाते हैं। भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता भागीदारी (आईजेआईसीपी) के तहत रोडमैप पर 19.03.2022 को भारत सरकार और जापान सरकार के बीच आईजेआईसीपी के तहत सहयोग के आधार के रूप में कार्य करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।

जापान और रूस की कंपनियों को निवेश संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया (राष्ट्रीय निवेश सुविधा एजेंसी) में 'जापान प्लस' और 'रूस प्लस' डेस्क हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक निवेशक-अनुकूल नीति बनाई है, जिसमें कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं।

अनुबंध-1

19 और 20 मार्च, 2022 को जापानी प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित करार/समझौता ज्ञापनों की सूची ।

क्र.सं.	**हस्ताक्षर किए गए करार/समझौता ज्ञापन**
1	साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन (एमओसी)
2	विभिन्न राज्यों में कनेक्टिविटी, जल आपूर्ति और सीवरेज, बागवानी, स्वास्थ्य देखभाल और जैव विविधता संरक्षण में परियोजनाओं के लिए 7 जेआईसीए ऋण क) समर्पित मालभाड़ा कॉरिडोर परियोजना (चरण 2) (III) ख) पूर्वोतर सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना (एनएच 208 (खोवाई - सबरूम) चरण 6 ग) बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना (चरण 3) (II) घ) उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास परियोजना ङ) असम में स्वास्थ्य प्रणालियों और चिकित्सा शिक्षा की उत्कृष्टता को सुदृढ़ बनाना च) तमिलनाडु जैव विविधता संरक्षण और हरित परियोजना चरण- II छ) चेन्नई मेट्रो (चरण 2) (II)
3	i) भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) के अनुच्छेद 13 के अनुसार भारत और जापान के बीच हस्ताक्षरित कार्यान्वयन करार (आईए) के अनुच्छेद 7 (सूचना का आदान-प्रदान) का संशोधन ii) सीईपीए के अनुबंध 2 (उत्पाद विशिष्ट नियम) का संशोधन, भारत के मछली सुरीमी उत्पाद को गैर-मूल योजक के साथ भारत के मूल उत्पाद के रूप में माना जाने की अनुमति देता है।
4	विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन पर सहयोग ज्ञापन (एमओसी)
5	भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता भागीदारी रोडमैप
6	सतत शहरी विकास पर सहयोग का ज्ञापन